रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 1984/कार्तिक 8, 1906
No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1984/KARTIKA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1984

अधिसूचना

सा. का. नि. 749(अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 33) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर, इस अधिसूचना की तारीख को गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त गोवा, दमण और दीव नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1974 (1975 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम सं. 21) का विस्तारण, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. अधिनियम में हरेक स्थान पर,—

(क) जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा निदेश न दिया गया हो, ''सरकार'' शब्द के स्थान पर, उन स्थानों को छोड़कर जहां यह शब्द ''सरकार का विभाग'', ''राज्य सरकार'', ''केन्द्रीय सरकार'', ''सरकार के अधिकारी'', ''सरकारी अधिकारी'', ''सरकारी लेखों'', ''सरकारी भविष्य निधि'', या ''सरकारी विभाग'' पद में आया है, ''प्रशासक'' शब्द रखा जाएगा और किसी ऐसे वाक्य में, जहां इस प्रकार का प्रतिस्थापन किया गया है, ऐसे पारिणामिक परिवर्तन किए जाएंगे जैसे कि व्याकरण के नियमानुसार अपेक्षित हों;

(ख) ''गोवा, दमण और दीव'' शब्दों के स्थान पर, किन्तु उन स्थानों को छोड़कर जहां वे दीर्घ नाम, अधिनियमन सूत्र और संक्षिप्त नाम में आए हैं, ''दादरा और नागर हवेली'' शब्द रखे जाएंगे ।

2. धारा 2 में, —

(क) खंड (1) को खंड (1क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(1) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;';

(ख) खंड (13) का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (18) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(18) "स्थानीय प्राधिकारी" से दादरा और नगर हवेली ग्राम पंचायत विनियम, 1965 के अधीन गठित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;';

(घ) खंड (26) के पश्चात् खंड (26क) के रूप में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

'(26क) "विहित प्राधिकारी" से प्रशासक द्वारा अधिनियम की धारा 71 के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;' ;

(ङ) खंड (32) में, —

(1) "गोवा, दमण और दीव नगरपालिका अधिनियम, 1968" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली ग्राम पंचायत विनियम, 1965" शब्द और अंक रखे जायंगे ;

3. धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो प्रशासक द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) वह व्यक्ति, जो तत्समय संसद में संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ;

(ग) वरिष्ठ पंचायत का सरपंच जो दादरा और नागर हवेली ग्राम पंचायत विनियम, 1965 की धारा 20 के अधीन निर्वाचित है;

(घ) ऐसे तीन व्यक्ति जिन्हें, नगर और ग्राम योजना, भवन निर्माण, इंजीनियरी, परिवहन उद्योग, वाणिज्य, कृषि या भू-गर्भ विज्ञान से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और जो प्रशासक द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(ङ) मुख्य नगर योजनाकार, सदस्य सचिव ।" ।

4. धारा 5 में, —

(क) "खंड (य) और (ट) " शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु उक्त उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्य, यथास्थिति, संसद का सदस्य या वरिष्ठ पंचायत का सरपंच न रह जाने पर, पद पर नहीं रहेगा" ।

5. धारा 6 में "खंड (य) और (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा ।

6. धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (2) में "सरकार" शब्द का, जहां वह दूसरी और तीसरी बार आता है, लोप किया जाएगा ।

7. धारा 43 के परन्तुक के खंड (2) में "या सरकार" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8. धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (क) में "केन्द्रीय या संघ राज्यक्षेत्र सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे ।

9. धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (ख) में दूसरी बार आने वाले और उपधारा (3) में आने वाले "सरकार" शब्द का उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

10. धारा 64 में "किसी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अधिनियम या ऐसे किसी अधिनियम के अधीन जिसे संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा संशोधित कर सकती है" शब्दों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन" शब्द रखे जाएंगे ।

11. धारा 71 में "मुख्य नगर योजनाकार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "विहित प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

12. धारा 98 की उपधारा (1) में, "सरकार" शब्द का उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

13. धारा 99 की उपधारा (2) में, "सरकार" शब्द का उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

14. धारा 100 की उपधारा (3) में, "सरकार" शब्द का लोप किया जाएगा ।

15. धारा 105 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (4) में, "सरकार" शब्द का उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

16. धारा 107 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक योजना और विकास प्राधिकरण के लेखाओं की प्रतिवर्ष संपरीक्षा प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा की जाएगी" ।

17. धारा 107 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में "लेखा निदेशक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

18. धारा 115 की उपधारा (1) में "सरकार के सचिव" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "ऐसा अधिकारी जो प्रशासक विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे ।

19. धारा 131 में —

(क) उपधारा (1) में दूसरे स्थान पर;

(ख) उपधारा (2) में ; और

(ग) उपधारा (3) में दूसरे स्थान पर,

आए "सरकार" शब्द का उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

IndiaCode

20. धारा 138 में "सरकार" शब्द को, जो उपधारा (2) में पहली बार आता है, उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

21. धारा 139 की उपधारा (2) में "सरकार" शब्द का उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

22. धारा 140 की उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

23. धारा 142 का लोप किया जाएगा ।

[सं. यू.-11015/0/77-यू.टी.एल. (162)]
हर्ष वदन गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th October, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 749(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974 (Goa, Daman and Diu Act 21 of 1975), as in force in the Union territory of Goa, Daman and Diu at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act,—

(a) unless otherwise directed in this notification, for the word "Government" except where it occurs in the expression "Department of Government", "State Government", "Central Government", "Officers of Government", "Government Officer", "Government accounts", "Government Provident Fund" or "Government Department", the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence, in which such substitution is made, such consequential changes as the rules of grammar may require;

(b) for the words "Goa, Daman and Diu", except where they occur in the long title, enacting formula and short title, the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.

2. In section 2,—

(a) clause (1) shall be renumbered as clause (1a) and before the clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

'(1) "Administrator" means the administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution;';

(b) Clause (13) shall be omitted;

(c) for clause (18), the following clause shall be substituted, namely :—

'(18) "local authority" means a village panchavat constituted under the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965 (3 of 1965);';

(d) after clause (26),—the following clause shall be inserted as clause (26A) namely :—

'(26A) "prescribed authority" means the authority notified by the Administrator as the prescribed authority for purposes of section 71 of the Act;'

(e) in clause (32),—

(i) for the words and figures "Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968", the words and figures "Dadra and Nagar Haveli Village Panchayats Regulation, 1965" shall be substituted;

3. In section 4, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The Board shall consist of the following members, namely :—

(a) a Chairman to be appointed by the Administrator;

(b) the person, who for the time being represents the Union territory in Parliament,

(c) the Sarpanch of the Varishta Panchayat elected under section 20 of the Dadra and Nagar Haveli Village Panchayat Regulation, 1965 (3 of 1965);

(d) three persons having special knowledge of, and practical experience in, matters relating to town and country planning, architecture, engineering, transport, industries, commerce, agriculture or geology to be nominated by the Administrator;

(e) the Chief Town Planner Member Secretary."

4. In section 5,—

(a) for the words, brackets and letters "clauses (j) and (l)", the word, brackets and letter "clause (d)" shall be substituted;

(b) for the proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the member referred to in clause (b) or clause (c) of the said sub-section shall cease to hold office on ceasing to be a member of Parliament or, as the case may be, the Sarpanch of the Varishta Panchayat.".

5. In section 6, for the words, brackets and letters "clauses (j) and (l)", the word, brackets and letter "clause (d)" shall be substituted.

6. In section 19, in clause (ii) of sub-section (2), the word "Government", where it occurs for the second and third times, shall stand unmodified.

7. In section 43, in clause (ii) of the proviso, the words "or the Government" shall be omitted.

8. In section 44, in clause (a) of sub-section (2), for the words "Central or Union territory Government", the words "Central Government or Union territory Administration" shall be substituted.

9. In section 47, the word "Government" shall stand unmodified where it occurs for the second time in clause (b) of sub-section (1) and in sub-section (6).

10. In section 64, for the words "Act of the Legislative Assembly of the Union territory or any of the Acts which the Legislative Assembly of the Union territory is competent to amend", the words "law for the time being in force in the Union territory" shall be substituted.

11. In section 71, for the words "Chief Town Planner", wherever it occurs, the words "prescribed authority" shall be substituted.

12. In section 98, in sub-section (1), the word "Government" shall stand unmodified.

13. In section 99, in sub-section (2), the word "Government" shall stand unmodified.

14. In section 100, in sub-section (3), the word "Government" shall be omitted.

15. In section 105, the word "Government" shall stand unmodified in clause (a) of sub-section (1) and in sub-section (4).

16. In section 107, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2). The accounts of every Planning and Development Authority shall be audited annually by such person or persons as may be decided by the Administrator.".

17. In section 107, sub-section (2) and sub-section (3), for the words "Director of Accounts", wherever they occur the words "Auditor so appointed under sub-section (2)", shall be substituted.

18. In section 115, in sub-section (1), for the words "the Secretary to the Government", the words "such officer as the Administrator may specify" shall be substituted.

19. In section 131, the word "Government" shall stand unmodified where it occurs—

(a) for the second time in sub-section (1) ;

(b) in sub-section (2) ; and

(c) For the second time in Sub-Section (3).

20. In section 138, the word "Government" shall stand unmodified where it occurs for the first time in sub-section (2).

21. In section 139, in sub-section (2), the word "Government" shall stand unmodified.

22. In section 140, sub-section (4) shall be omitted.

23. Section 142 shall be omitted.

[No. U-11015|9|77-UTL (162)]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984